

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक:—एफ 1(1)(4) आप्रसआ/सामान्य/2015/15226-66 जयपुर, दिनांक १७/१२/२०१५

अधिसूचना

जिला कलेक्टरों से प्राप्त खरीफ सम्वत् 2072 (सन् 2015) की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सर्सेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एकट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 15 जुलाई, 2016 तक लागू रहेंगे:—

क्र.सं.	नाम जिला	अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या
1.	अजमेर	541
2.	बांसवाड़ा	1514
3.	बारां	1070
4.	बाड़मेर	2206
5.	भीलवाड़ा	1126
6.	चित्तौड़गढ़	94
7.	चूरू	249
8.	झूंगरपुर	988
9.	हनुमानगढ़	100
10.	जयपुर	603
11.	जैसलमेर	114
12.	जालोर	407
13.	झुन्झुनूं	130
14.	जोधपुर	527
15.	नागौर	139
16.	पाली	291
17.	राजसमन्द	1063
18.	उदयपुर	2498
19.	प्रतापगढ़	827
योग:—		14487

राज्यपाल की आज्ञा से,


(रोहित कुमार)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, आ.प्र. एवं सहायता मन्त्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)/जल संसाधन/ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
12. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
13. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
14. सम्मागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, राज.।
15. जिला कलेक्टर, अजमेर, बांसवाडा, बाडमेर, बारां, भीलवाडा, चित्तौड़गढ़, चूरू, झूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुन्झुनूं जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर एवं प्रतापगढ़, राज।।
16. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
17. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
18. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
19. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
20. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।


संयुक्त शासन सचिव